

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'पचपन'

[13/3/2018]

प्रश्न सं. [क. 2262]


परिशिष्ट

अतारांकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2262 प्रश्नकर्ता विधायक महोदय श्री आर.डी. प्रजापति

सदन में उत्तर देने का दिनांक 13.03.2018

विगत दो वर्षों में जनप्रतिनिधी एवं जनता द्वारा रिहायसी क्षेत्र में लाईन अलग कर अन्य स्थान पर करने हेतु दिये गये आवेदन एवं आवेदन पर दिनांकवार की कार्यवाही का विवरण :-

क्र.	आवेदक का नाम	पत्र दिनांक	कार्य का विवरण	जमा राशि का विवरण	कार्यदिश क्र. एवं दिनांक	कार्य पूर्ण की तिथि
1.	श्रीमति संजू अग्रवाल तनय श्री सतीष अग्रवाल	18.08.17	11 केव्ही लाईन शिफ्टिंग करने बाबत	रु. 5558 (सुपरवीजन चार्ज)	138992 / 14.12.17	01.01.18
2.	पुष्पेन्द्र पटैरिया	06.06.17	मिड स्थान में 01 पोल लगाने बाबत	रु. 863 (सुपरवीजन चार्ज)	124793 / 18.09.17	01.01.18
3.	श्री आर.डी. प्रजापति विधायक विधानसभा क्षेत्र 49 चन्दला	कार्यपालन अभियंता छतरपुर को संबोधित पत्र दिनांक 30.01.18 एवं अधीक्षण अभियंता छतरपुर को संबोधित पत्र दिनांक 30.01.18	वार्ड क्र. 35 शांति नगर कालोनी छतरपुर में 11 के.वी. लाईन पूर्व में सुरक्षा मापदंडों के आधार पर बिछाई गई थी। उस समय लाईन के नीचे कोई कालोनी/मकान नहीं थे तथा कालोनी निर्माण कार्य में संबंधित विद्युत कार्यालय से स्वीकृति नहीं ली गई। उक्त लाईन के शिफ्ट किये जाने हेतु नियमानुसार संबंधित आवेदकों के साथ संयुक्त सर्वेक्षण कर राशि जमा करने की सहमति प्राप्त होने पर प्राक्कलन स्वीकृत किया जावेगा तथा आवेदकों द्वारा प्राक्कलन राशि जमा करके लाईन शिफ्टिंग हेतु भूमि उपलब्ध करवाने पर उक्त कार्य किया जाना संभव होगा।			


 आर.डी. प्रजापति
 विधायक, विधानसभा क्षेत्र
 चन्दला, जिला